



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2020

बैशाख 10, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 429/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(107)-2020

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प०आ०-109

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं० 79/ग्यारह-9(42)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रमित करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती हैं कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे आगे बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर, गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा :

परन्तु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2-यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 429/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2020, dated April 30, 2020 :

No. 429/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2020

*Dated Lucknow, April 30, 2020*

IN exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification no. 79/XI-2-9(42)-17-U.P. Act-1-2017-Order-(87)-2020 dated January 14, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*